

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 13/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

2. श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 29, ब्रह्मण धर्मशाला के पास, सूरतगढ - विक्रेता एवं मालिक- मै० सन्तोषी स्वीटस सेन्टर, वार्ड नम्बर 29 ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ।

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011


निर्णय

दिनांक : 08.06.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को दोपहर पूर्व 11.30 एएम पर दौरान निरीक्षणार्थ श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 29, ब्रह्मण धर्मशाला के पास, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर मैसर्स सन्तोषी स्वीटस सेन्टर, वार्ड नम्बर 29 ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 29, ब्रह्मण धर्मशाला के पास, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में खोवा, 4 टिन लगभग, 80 विक्रय हेतु रखा था। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो

  
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



सलंगन है। तत्पश्चात खोवा, 4 टिन लगभग, 80 मे से 01 किलो, खोवा नमूने वास्ते लिए एवं जिसके पेटे 200/-रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंगन है।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा खोवा, 4 टिन लगभग, 80 में से 01 किलो खोवा नमूने वास्ते लिया। जिसको एकरूप करके चार डिब्बो में प्रत्येक में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर परीक्षक बतौर फोरमलिन की 20-20 बूंदे मिलाकर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक डिब्बे पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1880 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1088 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1088 खोवा लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/210/एक्ट/2020/211 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1088 Unsafe Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 29, ब्रह्मण धर्मशाला के पास, सूरतगढ द्वारा अमानक स्तर **Khoa** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।


अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :- प्रारम्भिक आपित्तयां

यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक के विरुद्ध जो परिवाद प्रस्तुत किया है वह सूरतगढ न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

  
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



1. परिवाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है।
2. परिवाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
3. परिवाद पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
4. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 04 (पुनः 02 अंकित) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए हैं और न ही खोवा लगभग 4 टिन 80 किलो में से एक किलो नमूना वास्ते खाद् पदार्थ लिया।
5. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 05 (पुनः 03 अंकित) के कथन जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए हैं। खोवा 4 टिन 80 किलो में से एक किलो खोवा के नमूना वास्ते खाद् पदार्थ नहीं लिए एवं न ही 4 डिब्बो में बराबर मात्रा में भरकर लेबल तैयार कर नमूना पर लेबल चिपकाए और लेबल को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया और न ही जार को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया व न ही चार जगह सील मोहर से चपटी किया गया तथा न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए।
6. यह कि परिवाद की मद संख्या 06 (04 अंकित) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों का कोई सरोकार नहीं है।
7. यह कि परिवाद की मद संख्या 07 (05 अंकित) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवादपत्र की इस मद 6 में केवल मात्र सबस्टेन्ड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था।
8. यह कि परिवाद की मद संख्या 08 (06 अंकित) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। इस मद में आवेदक को किस तारीख को प्राधिकृत किया गया था जिसका अंकन नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत एवं सक्षम नहीं है।
9. यह कि परिवाद की मद संख्या 09 (07 अंकित) में वर्णित तथ्य में कोई स्पष्ट विवरण नहीं होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है एवं न ही इस चरण में प्रार्थी के विरुद्ध क्या आरोप है इसका कोई विवरण अंकित है।
10. यह कि परिवाद की मद संख्या 10 (08 अंकित) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के सबस्टेन्ड खोवा का विक्रय नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

  
 श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
 श्रीगंगानगर



अतः जवाब परिवादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावे और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पता है कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Khoa का सैम्पल के-1088 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/210/एक्ट/2020/211 दिनांक 13.11.2020 द्वारा Unsafe Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए हैं और न ही खोवा लगभग 4 टिन 80 किलो में से एक किलो नमूना वास्ते खाद्य पदार्थ लिया। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए हैं। खोवा 4 टिन 80 किलो में से एक किलो खोवा के नमूना वास्ते खाद्य पदार्थ नहीं लिए एवं न ही 4 डिब्बों में बराबर मात्रा में भरकर लेवल तैयार कर नमूना पर लेवल चिपकाए और लेवल को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया और न ही जार को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया व न ही चार जगह सील मोहर से चपटी किया गया तथा न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवादपत्र की इस मद 6 में केवल मात्र सबस्टैन्ड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के सबस्टैन्ड खोवा का विक्रय नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावे और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पता है कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Khoa" Code No and Sr. No. K-1088 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Unsafe food under section 3(i)(zz)(iv)(vi)(xi) of Food Safety and standards Act-2006 as milk Fat is Substituted by any inferior or cheaper Substances की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

600/17  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर




फलस्वरूप अभियुक्त सुशील कुमार शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सुशील कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में "Khoa" खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डा. हरीतिमा)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)  
श्रीगंगानगर